न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 12/11/2019 दायर दिनांकः–26/7/2019

जीसीएमएस न0ः–2019/00283 निर्णय दिनांकः– 14.05.2024

वउनवान

1. बनैसिंह पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी सौंखर तहसील कठूमर
2. रामपति पत्नि बनैसिंह जाति मीना
3. निवासी सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर।

——— अपीलाण्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत सौखर पंचायत समिति कठूमर तहसील कठूमर जरिये सरपंच ग्रम पंचायत सौंखर पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर।
2. कैलाश पुत्र मंगतूराम जाति जोगी निवासी सौंखर तहसील कठूमर
3. सुरेशचन्द पुत्र मंगतूराम जाति वैश्य निवासी खेरली तहसील कठूमर
4. दिनेश पुत्र मंगतूराम जाति वैश्य निवासी खेरली तहसील कठूमर जिला अलवर।

———— रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत सौंखर दिनांक 04.01.2018

इन्तकाल संख्या 3071 वाके ग्राम सौंखर

उपस्थितः–श्री राधाबल्लभ शर्मा– वकील अपीलाण्ट्स

–ःनिर्णयः–

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हे कि आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.94 हैक्ट वाके ग्राम सौंखर तहसील [illegible] अपीलाण्ट्स के 1/3 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 2 के 1/18 हिस्सा तथा शेष हि[illegible] उ[illegible] वगैरा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी के 1/18 हि[illegible] में से एक निश्चित भू[illegible]0 फुट बाई 80 फुट को खिलाफ कानून व खिलाफ मौका [illegible] विरुद्ध तरीके से रेस्पो[illegible] संख्या 2 ने रेस्पो0 संख्या 3–4 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.02.2017 को बेचान कर दिया तथा उक्त बयनामा के खिलाफ रेस्पो0 संख्या 3–4 के नाम खातेदारी का इन्तकाल सख्या 3071

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.27 16:50:08 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 04.01.2018 को खसरा नम्बर 372 के 266/11374 हिस्सा बावत स्वीकार फरमा दिया गया। उक्त इन्तकाल की प्रथम बार जानकारी अपीलाण्ट्स को दिनांक 16.07.2019 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई, जो की इन्तकाल प्रथम बार जानकारी दिनांक 16.07.2019 से अन्दर अवधि प्रस्तुत है यह कि आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.94 हेक्ट अपीलाण्ट के 1/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 2 का 1/18 हिस्सा व शेष हिस्सा उगन्ता वगैरा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है अर्थात अवट है।जिस आराजी में से रेस्पो0 संख्या 2 को एक निश्चिम भू भाग को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.02.2017 रेस्पो0 संख्या 3–4 को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था।रेस्पो0 संख्या 2 ने खसरा नम्बर 372 के निश्चित भू भाग का बयनामा दिनांक 09.02.2017 को रेस्पो0 संख्या 3–4 के हक में कराया लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 के खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से बयनामा में अंकित 2400 वर्ग फुट भूमि के स्थान पर खसरा नम्बर 372 के 266/11374 हिस्सा बावत खातेदारी काइन्तकाल स्वीकार फरमाया है जो काबिज गौर श्रीमान है। इसके किसी भी निश्चित भू भाग पर रेस्पो0 का कोई कब्जा नही है ना रेस्पो0 संख्या 1 ने मौके पर इनके कब्जे की कोई जॉच की और ना ही कब्जे की कोई रिपोर्ट तलब की गई है। रेस्पो0 सख्या 1 ने बिना कब्जे के ही रेस्पो संख्या 3–4 के नाम खातेदारी का इन्तकाल खिलाफ कानून खिलाफ मौका विरूद्व किया गया है। उक्त इन्तकाल ग्राम पंचायत की मिटिंग में तस्दीक नहीं किया गया ना इसका कोई अंकन ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में किया है। अपील की देरी दिनांक 05.07.2018 से दिनांक 27.05.2019 को कण्डोन किये जाने के लिये अपीलाण्ट ने अपील के साथ अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपीलाण्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील अपीलाण्टस स्वीकार फरमाई जाकर कर इन्तकाल संख्या 3071 दिनांक 04.01.2018 वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्ट्स बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्व दिनांक 03.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलाण्ट ने [illegible] अपील के समर्थन में सत्यप्रतिलिपि इन्तकाल संख्या 3071 वाके ग्राम सौंखर की छाया प्रति पेश [illegible] है, जो शामिल पत्रावली है।

अपीलाण्ट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने अपील में वर्णित तथ्य व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हमें अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.27 16:50:08 IST
Reason: SelfAttested

पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अतः हस्तगत प्रकरण में मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

अपीलाण्ट्स वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा हिस्सेदारी (शेयर) में किया गया नामान्तरण गलत है। इस खसरे पर स्टे था, इसके बावजुद वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया। अपीलाण्ट्स मीणा (अनुसूचित जनजाति) से है जबकि खातेदार गैर अनुसूचित जनजाति से है, अतः यह बेचान गलत है। हमने वकील अपीलाण्टस की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत दस्तावेज का गहनता से परिशीलन किया। वकील अपीलाण्टस् ने फर्द दस्तावेज के रूप में जमाबन्दी संवत 2074 पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिंडिग है जिसमें किसी भी व्यक्ति के राइट टाइटल का निर्णय नहीं किया जाता है। यह जांच का विषय है, जिसे नामान्तकरण के दौरान नहीं देखा जा सकता। अपीलाण्ट्स की सहमति से इन्तकाल भी रेस्पो0 के सभी वारिसान को सुनकर विधिनुसार स्वीकार किया है। अपीलाण्ट ने इन्तकाल की अदालत में चुनौती नहीं दी है। अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के उपरांत हम यह पाते है कि ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 04.01.2018 विधि मुताबिक होने से निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **14.05.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.5.24

सुखराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.27 16:50:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/5/24	वकील अपीलार्थी उपस्थित पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 14/5/24 को पेश हो। SDM
14/5/24	~~[illegible] [illegible]~~ वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अतः अपीलार्थी की अपील साक्ष्यहीन होने के कारण खारिज योग्य पाई जाती है। अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल एवं निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल हुआ [illegible] दर्ज रजिस्टर के बाद [illegible] जिला रिकॉर्ड भण्डार भेजी जावे। SDM A [illegible] 14/5/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.27 16:50:08 IST
Reason: SelfAttested